संख्या:2221 /नौ–5–18–352सा/2016

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 29 जून, 2018

विषयः– **उत्तर प्रदेश राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति का प्रख्यापन।**

महोदय,

1 भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है जो देश के लगभग 9 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित करता है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश भी है जहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार 19.96 करोड़ लोग निवास कर रहे है, जिसमें से 15.51 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और 4.45 करोड़ लोग नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। इस प्रकार भारत की कुल जनसँख्या का लगभग 16.50% तथा भारत की कुल शहरी आबादी का लगभग 11.80% उत्तर प्रदेश में निवास करती है। वर्ष 2001–2011 के दौरान यहॉ की शहरी जनसंख्या में कुल 1.09 करोड़ की वृद्धि हुई है।

2 नीति के लक्ष्य एवं उद्देश्य

नीति के प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित है :

(i) उत्तर प्रदेश के शहरों व कस्बों में स्वस्थ, स्वच्छ पर्यावरण हेतु स्वच्छता सम्बन्धी उच्च मानकों की प्राप्ति।

(ii) अपशिष्ट उत्पादन के न्यूनीकरण (Reduction), पुनरुपयोग (Reuse), पुनर्चक्रण (Recycling) तथा नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट के विभिन्न घटकों के अधिकतम उपयोग व Resource Recovery पर बल दिया जायेगा, जिससे लैंडफिल स्थल पर भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा के साथ–साथ मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके।

(iii) राज्य में एकीकृत, लागत प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को तैयार करने, क्रियान्वित करने, तथा संचालित किए जाने तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क व अन्य स्रोतों के माध्यम से राजस्व प्राप्ति।

(iv) साझेदारी, बिक्री अथवा पुनरुपयोग के माध्यम से पुनर्प्राप्त किए गये अपशिष्ट स्रोतों यथा उच्च मूल्य वाले पुनर्चक्रित, निम्न मूल्य वाले पुनर्चक्रित, कम्पोस्ट, दहनशील पदार्थ

शहरी ... एवं गरीबी उन्मूलन ... उ० प्र० शासन।

(RDF) को अपशिष्ट ऊर्जा उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाकर इनका अंतिम उपयोग अथवा शोधन सुनिश्चित करना।

(v) विकेन्द्रीत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन को बढ़ावा देना।

(vi) अनौपचारिक क्षेत्र में इस कार्य में लगे लोगों से प्रभावी समन्वय।

3 उत्तर प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतः

जनसंख्या वृद्धि और नगरीकरण के साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन राज्य हेतु एक व्यापक चुनौती के रूप में उभरा है। समय के साथ–साथ न केवल अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि हुई है अपितु विभिन्न प्रकार के नए–नए उत्पादों, उपकरणों और संयंत्रों के आने से अपशिष्ट के अभिलक्षणों में भी व्यापक परिवर्तन हुए है।

पृथक्करण, संग्रहण, शोधन एवं निस्तारण के माध्यम से पर्यावरणीय रूप से उचित तरीके से ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक निस्तारण पर्यावरण पर पड़ने वाले अपशिष्ट के दुष्प्रभाव को घटाता है। स्थानीय नगरीय प्राधिकारी नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंसकरण तथा निस्तारण हेतु अवसंरचना के विकास हेतु उत्तरदायी है। उत्तर प्रदेश की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है :

(a) **स्रोत स्तर पर न्यूनीकरण, पृथक्करण व पुनरुपयोग:**
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु स्थानीय निकाय अपशिष्ट उत्पादन के न्यूनीकरण, स्रोत पर पृथक्करण एवं पुनरुपयोग के विकल्प को बढ़ावा देंगे। ये न केवल अपशिष्ट के प्रबंधन, शोधन व निस्तारण व्यय को कम करने में सहायक होगा अपितु पर्यावरण पर पड़ने वाले विभिन्न दुष्प्रभावों यथा लीचिंग, वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में भी सहायक होगा |

(b) **अपशिष्ट पुनर्चक्रण :**
पृथक्करण, संग्रहण, और पुनर्प्रसंकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त पुनरूपयोगी पदार्थों द्वारा नए उत्पादों का निर्माण अगला प्रमुख विकल्प होगा | इस कार्य में लगे Informal sector को निकाय द्वारा पूरी प्रक्रिया से जोड़ा जायेगा।

(C) **अपशिष्ट का कम्पोस्टिंग :**
जहाँ तक संभव हो अपशिष्ट के जैविक अंश को कम्पोस्ट किया जाना चाहिये और इसका उपयोग मृदा की गुणवत्ता में सुधार तथा कृषि उत्पादन की वृद्धि हेतु किया जाना चाहिये | यह कार्य विकेन्द्रीत रूप से वार्डवार/जोनवार करने का प्रयास होना चाहिए।

(d) **अपशिष्ट से ऊर्जा :**

जहाँ अपशिष्ट से पदार्थ पुनर्प्राप्ति संभव नहीं है वहाँ ऊष्मा, विद्युत अथवा ईंधन उत्पादन के रूप में अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति को प्राथमिकता दी जा सकेगी| जैव–मिथेनेशन, प्लास्टिक से तेल, अपशिष्ट से पैलेटों, अपशिष्ट दहन, अवशिष्ट व्यत्पन्न ईंधन (RDF) का उत्पादन, तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट से पृथक किए गये सूखे अवशिष्ट के सह–प्रसंस्करण को "अपशिष्ट से उर्जा" प्रौद्योगिकी के तहत सामान्य रूप से अपनाया जायेगा |

(e) **अपशिष्ट निस्तारण :**

शेष बचे हुए अपशिष्ट को जिसमें मुख्यतः निष्क्रिय अनुपयोगी पदार्थ शामिल होते हैं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुरूप निर्मित किए गये सैनिटरी लैंडफिलों में निस्तारित किया जाना चाहिए | लक्ष्य यह निर्धारित है कि लैंडफिल स्थलों तक न्यूनतम अपशिष्ट पहुंचे (अधिकतम 10%)।

4 मार्गदर्शी सिद्धान्तों के क्रियान्वयन की रणनीति :

(i) घरेलू स्तर के साथ ही प्रसंस्करण इकाईयों पर दो कूड़ेदान और पृथक्करण की व्यवस्था की जायेगी | घरेलू खतरनाक अपशिष्टों जैसे कि बैटरी, ब्लेड, रेजर आदि का पृथक रूप से एकत्रीकरण व निस्तारण किया जाना चाहिए |

(ii) 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैगों के उत्पादन, विक्रय और उपयोग पर रोक का प्रभावी क्रियान्वयन |

(iii) अनौपचारिक क्षेत्र जो अपशिष्ट प्रबन्धन से जुड़ा है, उनके साथ प्रभावी समन्वय|

(iv) विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा दिया जायेगा |

(v) वर्ष के 365 दिन निश्चित समय पर अपशिष्ट का 100% संग्रहण और यह सुनिश्चित करना कि एक बार घरों से अपशिष्ट एकत्र हो जाने के पश्चात् यह पुनः जमीन पर न रखा जाय|

(vi) नियमित व निर्धारित रूटवार पृथक्कृत कूड़े के परिवहन की व्यवस्था |

(vii) अधिकतम संसाधनों की प्राप्ति हेतु वार्डों में सामग्री प्राप्ति केन्द्रों की स्थापना |

(viii) प्रदूषणकर्ता भुगतान करें – स्थानीय निकायों को दण्ड शुल्क में पर्याप्त वृद्धि करनी चाहिये यथा कूड़ा फैलाने पर 1000 रुपये और निषिद्ध किए गये पॉलिथीन बैगों के उत्पादन, विक्रय और उपयोग पर 50,000 रुपये का जुर्माना राशि नियत किया जाना।

(ix) दैनिक सड़क की सफाई – मुख्य सड़कों व बाजारों में मुख्यतः रात्रि में सफाई |

(x) कूड़ा बीनने वालों के लिए सामाजिक एवं स्वास्थ्य बीमा तथा निकाय द्वारा I-Card जारी करना व औपचारिक व्यवस्था के साथ समन्वय स्थापित करना।

(xi) प्रभावी आई.ई.सी. और क्षमता संवर्धन |

5 भागीदारों की भूमिका व उत्तरदायित्वः

(I) अपशिष्ट उत्पादकों की भूमिका व उत्तरदायित्व

(i) प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक को चाहिए कि स्वयं द्वारा उत्पादित अपशिष्ट को दो प्रकारों में यथा जैविक (बायोडिग्रेडेबल) तथा अजैव–अपशिष्ट (नॉन–बायोडिग्रेडेबल) में पृथक कर कूड़ेदानों में एकत्र करे और इस पृथक्कृत अपशिष्ट को समय पर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी निर्देशानुसार या अधिसूचनानुसार अधिकृत कूड़ा उठानेवाले को सौंपे | इस हेतु स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा कूड़ेदान रखने की व्यवस्था बनायी जानी चाहिए। Domestic Hazardous कूड़े को पृथक एकत्रित करना चाहिए तथा इसे नियत स्थान पर प्रत्येक पक्ष अथवा माह में एकत्र कर पहुँचाया जाना चाहिए। उपयोग किए जा चुके सेनेटरी अपशिष्ट जैसे कि डायपर, सेनेटरी पैड्स आदि को निर्माता द्वारा अथवा ब्राण्ड स्वामी द्वारा उपलब्ध कराए गये थैले में सुरक्षित रूप से लपेट कर अथवा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी निर्देशानुसार सूखे कूड़े हेतु निर्धारित कूड़ेदान में अथवा अजैव–निम्नीकरणीय (नॉन–बायोडिग्रेडेबल) अपशिष्ट हेतु निर्धारित कूड़ेदान में रखे | दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और व्यापरियों द्वारा उचित स्थल पर ही पृथक्कृत अपशिष्ट का भण्डारण किया जायेगा। निर्माण एवं ध्वन्स जनित (Construction and Demolition) अपशिष्ट स्वयं के परिसर में एकत्रित करे और स्थानीय निकाय इसका निस्तारण निर्माण एवं ध्वन्स जनित अपशिष्ट नियम, 2016 के अनुरूप करेंगे। घरों अथवा परिसरों से उत्पन्न होने वाले उद्यानीय अपशिष्ट तथा बाग–बगीचे वाले अपशिष्ट को स्वयं के परिसर में ही एकत्रित किया जाऐगा, निकाय द्वारा इनके समुचित निस्तारण के निर्देश निर्गत किए जाऐंगे |

(ii) व्यक्ति (अपशिष्ट उत्पादक व अन्य) ठोस अपशिष्ट को सड़कों पर, परिसर के बाहर, खुले सार्वजानिक स्थलों पर अथवा नालियों या (Water Bodies) जल निकायों में न तो फेंकेगा न गाड़ेगा | अपशिष्ट को जलाया नहीं जायेगा।

(iii) प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ऐसे उपभोक्ता शुल्क का भुगतान करेगा जैसा कि स्थानीय निकाय की उपविधि में विनिर्दिष्ट किया जाए |

(iV) कोई भी व्यक्ति स्थानीय निकाय को सूचित किए बिना किसी भी अननुज्ञापित स्थल पर सौ से ज्यादा लोगों का न तो कोई समारोह आयोजित करेगा और न ही उन्हें एकत्र करेगा |

(V) प्रत्येक सड़क विक्रेता अपनी दैनिक गतिविधियों के दौरान उत्पन्न हुये अपशिष्ट के भण्डारण हेतु उपयुक्त कूड़ादान रखेगा यथा भोज्य–अपशिष्ट,डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप्स, कैन्स, बचा हुआ भोजन, सब्जियां, फल आदि, और इन्हें स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा अधिकृत स्थलों/डिपो में अथवा वाहनों में डालेगा |

(Vi) सभी आवास वेलफेयर समितियां तथा बाजार संघ स्थानीय निकाय के साथ भागीदारी करके नियमानुसार स्रोत स्तर पर ही उत्पादकों द्वारा जनित अपशिष्ट का पृथक्करण

सुनिश्चित करेंगे, पृथक्कृत अपशिष्ट को संग्रहित किए जाने में सहायता प्रदान करेंगे और पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को या तो अधिकृत अपशिष्ट संग्राहकों को अथवा अधिकृत पुनर्चक्रण कर्ता को सौंपेंगे। जहाँ तक संभव हो अपशिष्ट के जैव–निम्नीकरणीय (बायोडिग्रेडेबल) अंश को परिसर के अन्दर ही कम्पोस्टिंग अथवा जैव–मिथेनेशन के माध्यम से प्रसंस्करित, शोधित व निस्तारित किया जायेगा | अपशिष्ट के अवशिष्ट अंश को स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकों अथवा अभिकरण/संस्था को सौंपा जायेगा |

(II) <u>जिलाधिकारी की भूमिका एवं उत्तरदायित्व</u>:

(i) जिलाधिकारी, राज्य नगर विकास विभाग के सचिव के साथ गहन समन्वय स्थापित करते हुए अपने जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 11 के उपनियम (एफ) के तहत ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निस्तारण इकाई सैनेटरी लैण्डफिल की स्थापना हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध करायेंगे |

(ii) प्रत्येक स्थानीय निकाय में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण अथवा निस्तारण हेतु भूमि की उपलब्धता शासनादेश संख्या: 4520/नौ–8–2017–153जे/2017 दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 के अनुरूप अगले छः माह में करायी जानी होगी |

(iii) जिलाधिकारी तीन माह में कम से कम एक बार अपशिष्ट के पृथक्करण, प्रसंस्करण, शोधन और निस्तारण से सम्बंधित स्थानीय निकायों के कार्यों की समीक्षा करेंगे और निदेशक, स्थानीय निकाय तथा सचिव, राज्य नगर विकास विभाग के साथ परामर्श कर सुधारात्मक उपायों को अपनायेंगे|

(III) <u>स्थानीय निकायों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व:</u>

(a) उपविधियों का निर्माण और संगठनात्मक ढांचे का सुदृढ़ीकरण :

(i) स्थानीय निकाय अपशिष्ट फैलाने और जलाने को दंड सहित निषिद्ध किए जाने हेतु उपविधि बनाएंगे। कूड़ा फैलाने पर कम से कम 1000 रुपये और निषिद्ध किए गये पॉलिथीन बैगों (50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले) के उत्पादन, विक्रय और उपयोग हेतु न्यूनतम 50,000 रुपये दंड निर्धारित किया जायेगा।

(ii) स्थानीय निकाय अपशिष्ट के संग्रहण व पृथक्करण हेतु उपयोगकर्ता शुल्क को निर्दिष्ट करते हुए उपविधि बनायेंगे|

(iii) स्थानीय निकाय अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण हेतु निजी संचालकों को नियुक्त कर सकेंगे, जहाँ संचालक गृह स्वामियों अथवा प्रतिष्ठानों से उपयोगकर्ता शुल्क प्राप्त कर कार्य करेगा।

(iv) प्रत्येक निकाय वार्ड स्वच्छता प्रोत्साहन समिति का गठन करेंगे तथा इन्हें क्रियाशील रखेंगे।

(v) राज्य नीति की अधिसूचना की तारीख से छः माह के भीतर राज्य नीति के अनुरूप ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना का निर्माण करेंगे और इसकी एक प्रतिलिपि सरकार को जमा करेंगे|

(vi) Informal Sector (समस्त कूड़ा) उठाने वालों का पंजीकरण कर उन्हें फोटो पहचान पत्र जारी करने का कार्य छः माह में पूरा किया जायेगा।

(IV) <u>आवास एवं नगर नियोजन विभाग की भूमिका और उत्तरदायित्व</u> :

(i) 200 से अधिक घरों अथवा 5000 वर्ग मी. से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंड के ग्रुप–हाउसिंग, अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, संस्थानों अथवा किसी भी अन्य अनावासीय काम्प्लेक्स के लिए बनायी जाने वाली विकास योजना में ठोस अपशिष्ट के विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण हेतु पृथक्करण व भण्डारण हेतु स्थान का सीमांकन निर्धारण सुनिश्चित करना |

(ii) यह सुनिश्चित करना कि राज्य के प्रत्येक शहर हेतु निर्मित महायोजना/मास्टर प्लान में ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण व निस्तारण की सुविधा स्थापना हेतु स्पष्ट मानक प्रावधान किये गए हों |

(iii) स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा निर्धारित/सीमांकित किये गये लैंडफिल स्थलों को अपनी महायोजना मास्टर प्लान में समाविष्ट करना |

(iv) शासनादेश संख्या 563/8–3–12–27 विविध/08 दिनांक 02.03.2012 का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना |

(v). क्षेत्रीय योजनाओं में सैनेटरी लैंडफिल स्थल हेतु जगह उपलब्ध कराना |

(vi) स्थानीय नगरीय निकायों को आवश्यकतानुसार उनकी योजनाओं के तहत अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्रों हेतु जगह उपलब्ध कराना |

(V) हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरणों और निजी बिल्डरों की भूमिका व उत्तरदायित्व :

(i) व्यावसायिक अथवा आवासीय कॉलोनियों की योजना बनाये जाने के दौरान ही अपशिष्ट प्रबंधन हेतु स्थान का निर्धारण अवश्य किया जाए |

(ii) शून्य अपशिष्ट उत्पादक समुदाय बनाने का प्रयास करना |

(VI) उद्योग विभाग की भूमिका एवं उत्तरदायित्व :

(i) विस्तारित उत्पादक दायित्वों (Extended Producers Responsibilities) के तहत राज्य के समस्त उद्योगों को पुनर्चक्रण हेतु पैकेजिंग पदार्थ को वापस एकत्र किये जाने के लिए अधिसूचित करना|

(ii) राज्य के ऐसे उद्योगों को जहाँ अवशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन (Refuse Designed Fule) का उपयोग होता है, निर्देशित करेगा कि वे निकटस्थ स्थानीय नगरीय निकाय से (100 किमी की परिधि) से अवशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन (RDF) उठायें |

(VII) राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) और जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) की भूमिका व उत्तरदायित्व :

(i) यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त स्वयं सहायता समूह, शहरी गरीब इलाके में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से सम्बंधित स्थानीय निकाय को सहयोग प्रदान करेंगे |

(ii) घर घर संग्रहण, पृथक्करण और वर्मी कम्पोस्टिंग प्लांट को चलाने हेतु स्वयं सहायता समूह गठित करने का प्रयत्न करेंगे | इस उद्देश्य हेतु प्रशिक्षण एवं ऋण उपलब्ध कराने हेतु एन0यू0एल0एम0 और अन्य योजनाओं के अंतर्गत धन का उपयोग कर सकेंगे |

(iii) अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत कूड़ा उठाने वाले कार्मिकों (Rag Pickers) का निकाय द्वारा पंजीयन व पहचान पत्र निर्गत करने में सहयोग करेंगे।

(VIII) डिस्पोजेबल उत्पादों तथा सेनेटरी नैपकिन्स और डायपर के निर्मात अथवा ब्रांड स्वामियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व :

(i) समस्त ब्रांड स्वामी, जो अपने उत्पादों को ऐसे पैकेजिंग पदार्थ में बेचते अथवा प्रचारित करते हैं जो कि जैविक रूप से विघटनीय न हों, एक ऐसी व्यवस्था बनायेंगे जिसके

तहत उनके उत्पादों के कारण उत्पादित पैकेजिंग अपशिष्ट को वापस इकट्ठा किया जा सके |

(ii) सैनेटरी नैपकिन्स और डायपर्स के निर्माता अथवा ब्रांड स्वामी अथवा उनके विपणन की कम्पनियाँ उनके उत्पादों में पूर्णतः पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों के उपयोग की संभावनाओं का पता लगायेंगे अथवा अपने सेनेटरी उत्पाद के पैकेट के साथ प्रत्येक नैपकिन व डायपर के निस्तारण हेतु थैले अथवा रैपर उपलब्ध कराएंगे |

(iii) ऐसे समस्त निर्माता, ब्रांड स्वामी अथवा विपणन कम्पनियाँ अपने उत्पादों को उचित रूप से रैप कर निस्तारित किए जाने के प्रति जनता को शिक्षित जागरूक करेंगे |

(IX) <u>ठोस अपशिष्ट पर आधारित अवशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन संयंत्र तथा अपशिष्ट उर्जा संयंत्रों की 100 किमी की परिधि में स्थित औद्योगिक इकाइयों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व :</u>

(i) समस्त औद्योगिक इकाइयाँ जो कि ईंधन का उपयोग कर रही हों और ठोस अपशिष्ट पर आधारित अवशिष्ट व्युतपन्न ईंधन संयंत्र से 100 किमी की परिधि में अवस्थित हों इन नियमों की अधिसूचना के पश्चात छः माह के भीतर अपनी कुल ईंधन आवश्यकता के कम से कम 5% भाग को उत्पादित किए जा रहे अवशिष्ट व्युतपन्न ईंधन से RDF की उपलब्धता के दृष्टिगत बदलेंगे|

6 <u>स्वच्छ व सुन्दर शहर के लिए कार्यवाही:</u>

नगर विकास विभाग द्वारा स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग तथा अवसंरचना मद के तहत धन अवमुक्त किया जाता है। स्थानीय निकायों के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और उनके राजस्व उत्पादन/संग्रह में सुधार के लिए उक्त योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि की अवमुक्ति नियोजित करनी चाहिए। नगर विकास विभाग के निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए सतत अनुश्रवण व मार्गदर्शन करने के साथ–साथ प्रोत्साहन हेतु पहल की जायेगी। सहायता/प्रोत्साहन निम्नलिखित क्षेत्र में की जायेगी:–

(i) अपशिष्ट न्यूनीकरण हेतु |
(ii) वार्ड तथा स्थानीय निकाय को खुले में शौच से मुक्त (ओ.डी.एफ) बनाने हेत|
(iii) द्वार–द्वार संग्रहण, पृथक्करण, कूड़ा फैलाने को निषिद्ध किए जाने और उपयोक्ता शुल्क लागू किये जाने सम्बंधी नियमों के निर्माण हेतु |
(iv) उपयोक्ता शुल्क के 100% संग्रहण हेतु प्रोत्साहन |
(v) वार्ड स्वच्छता प्रोत्साहन समिति की क्रियाशीलता।

(vi) "शून्य अपशिष्ट" उत्पादक स्थानीय निकाय का लक्ष्य प्राप्त किए जाने हेतु।

(vii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियों से कबाड़ी वालों, कूड़ा उठाने वालों व स्वयं सहायता समूहों आदि जैसे अनौपचारिक वर्ग को एकीकृत करने वाले स्थानीय निकाय को

(viii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यथा सफाई कर्मी की उपस्थिति, सफाई कार्यों के संचालन में GIS/जियो–टैगिंग, और जीपीएस आधारित अपशिष्ट का परिवहन आदि की निगरानी हेतु e-Governance शासन उपकरणों का उपयोग करने वाली स्थानीय नगरीय निकायों को |

(ix) स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार की व्यवस्था।

(x) तालाब, नदी व अन्य वाटर बाडी के संरक्षण व विकास हेतु।

(xi) भूगर्भ जल रिचार्ज हेतु।

7 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निस्तारण) में निजी भागीदारी और निवेश हेतु:

(क) ऐसे मामलों में जहाँ निजी निवेशकर्ता अथवा भागीदार द्वारा दीर्घावधि (25–30 वर्षों) लीज पर निकाय की भूमि एवं स्थानीय निकाय से ठोस अपशिष्ट की आवश्यकता हो :

किसी निजी इकाई/निवेशक/गैर सरकारी संगठन द्वारा बिना किसी वित्तीय सहायता की मांग के, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सम्बन्धी गतिविधियों हेतु राज्य के किसी भी स्थानीय निकाय अथवा स्थानीय निकायों के समूह–क्षेत्र हेतु कोई भी प्रस्ताव सरकार/निदेशालय/निकाय को विज्ञापन के सापेक्ष उपलब्ध कराया जा सकता है। राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा। यह समिति अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा पी.पी.पी. प्रोजेक्ट के लिए निर्गत गाइडलाइन्स–2016 के अनुसार परियोजना लागत के अनुसार गठित होगी। समिति द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमति हेतु संस्तुति दी जाएगी। स्थानीय निकाय की भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर देने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी अनुमति के लिए निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी :

(i) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध आवश्यक भूमि को पट्टे पर 1 रूपये प्रति वर्गमीटर वार्षिक किराये पर दिया जायेगा |

(ii) विकासकर्ता को उपलब्ध करायी गयी भूमि का उपयोग स्वीकृत परियोजना के अतिरिक्त किसी अन्य गतिविधि हेतु नहीं किया जायेगा |

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि को बंधक नहीं रखा जायेगा |

(iv) नगर में जनित ठोस अपशिष्ट निःशुल्क परियोजना स्थल पर नगरीय निकाय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(v) भूखंड तक पहुँच मार्ग/विद्युत/पानी/मार्ग प्रकाश/जल निकासी/सीवर आदि की सुविधा का विकास स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा किया जायेगा। विकासकर्ता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित होने वाले उत्पादों अथवा समवर्ती उत्पादों को बेचने हेतु अधिकृत होगा |

(vi) योजना का कियान्वयन तीन वर्ष में न होने पर भूमि स्वतः निकाय को वापस हो जायेगी।

(ख) ऐसे मामलों में जहाँ निजी निवेशकों अथवा भागीदारों को 35% तक Viability Gap Funding की आवश्यक हो अथवा उपभोग होने वाले ठोस अपशिष्ट हेतु प्रति टन टीपिंग फीस की अथवा उत्पादित विद्युत ऊर्जा पर प्रति यूनिट शुल्क की अथवा उत्पादित कम्पोस्ट पर प्रति इकाई शुल्क की मांग हो |

अपशिष्ट ऊर्जा, अपशिष्ट से पैलेट, अपशिष्ट से कम्पोस्ट, प्लास्टिक से तेल आदि परियोजनायें सामान्यतः इस वर्ग में आती हैं। ऐसी सार्वजानिक –निजी–भागीदारी पर आधारित परियोजनाओं हेतु विकासकर्ता के चयन की प्रक्रिया शासन द्वारा पी.पी.पी. प्रोजेक्ट हेतु जारी आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा |

(ग) ऐसे मामलों में जहाँ ठोस अपशिष्ट के द्वार–द्वार संग्रहण की गतिविधि शामिल हो और आवेदक संगठन द्वारा इसके लिए स्थानीय निकाय से कोई धन की मांग न की जा रही हो |

ऐसे मामलों में जहाँ आवेदक संगठन ठोस अपशिष्ट का द्वार–द्वार संग्रहण हेतु इच्छुक हो और वह स्थानीय निकाय अथवा राज्य से बिना कोई धन लिये उपयोक्ता शुल्क भवन स्वामी से लेकर कार्य हेतु तैयार हो तो उसे वार्ड अथवा वार्डों अथवा पूरे शहर/कस्बे को अधिकतम पॉच वर्षों हेतु यह कार्य सौंपा जा सकता है| आपसी समझौते के आधार पर इसे आगामी तीन वर्षों हेतु पुनः नवीकृत किया जा सकता है| स्थानीय निकायें उपलब्ध पार्कों अथवा अन्य उपयुक्त जगहों को कम्पोस्टिंग, पृथक्करण और संग्रहित अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु प्रति वर्ग मी0 वार्षिक किराया रूपये 1 पर पॉच वर्षों हेतु पट्टे दे सकेंगी। स्थानीय निकाय अपने क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एक से अधिक संगठनों को नियुक्त कर सकेगी | चयनित संगठनों कों निकाय ठोस अपशिष्ट के परिवहन हेतु वाहन उपलब्ध करा सकतें है।

8 <u>डम्पींग/ड्रेजिंग ग्राउण्ड जिनका प्रयोग नहीं हो रहा, उनका प्रबंधन व विकासः</u>

स्थानीय निकाय के abondoned लैण्डफिल साइट की वैज्ञानिक कैपिंग व विकास के कार्य को वन एवं पर्यावरण विभाग,उत्तर प्रदेश की सहायता से सम्पन्न कराया जायेगा। ऐसे स्थलों की सूची नगर विकास विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग को उपलब्ध कराएगा जो इन स्थलों की वैज्ञानिक कैपिंग और Landscaping तथा पार्कों अथवा हरित क्षेत्र के रूप में

विकसित करने हेतु परियोजना का निर्माण करेंगे, परियोजना का निर्माण विकास व अन्य संस्था द्वारा भी किया जा सकता है| स्वच्छ भारत अभियान(शहरी) के अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं को अनुमति प्रदान करने वाली राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन के पश्चात् वन विभाग को क्रियान्वयन हेतु धन उपलब्ध कराया जायेगा। इस कार्य हेतु CSR के अन्तर्गत भी धनराशि प्राप्त की जा सकती है।

9 अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 08.04.2016 द्वारा प्रख्यापित सालिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के नियम 11—1 में उल्लिखित प्रविधानों के अनुक्रम में "**उ0प्र0 राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति**"एतद्द्वारा प्राख्यापित किया जाता है।

उ0प्र0 राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति तत्कालिक प्रभाव से लागू होगें।

संलग्नकः
उ0प्र0 राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति की प्रति।

भवदीय,

28.6.18

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समस्त प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2— स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3— समस्त मण्डायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5— समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
6— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
8— निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
9— मिशन निदेशक(एस0बी0एम0), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
10— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
11— निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ
12— निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
13— अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा जिलाधिकारी)।
14— राजकीय मुद्राणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपर्युक्त पॉलिसी की हिन्दी एव अंग्रेजी प्रति संहित प्रकाशनार्थ प्रेषित।
15— कम्प्यूटर सेल/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

28/6

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।